सीरीज 2.0

आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम

[2002-2007]

समुदायों और स्थानीय स्वशासनों की भागीदारी के माध्यम से समुदाय आधारित आपदा शमन और सामान्य स्थिति बहाली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रभाग
गृह मंत्रालय
भारत सरकार

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

भारत सरकार
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
परियोजना दस्तावेज
(परियोजना में महत्वपूर्ण संशोधन)

परियोजना संख्या :आई एन डी /02/006/c/01/99
परियोजना शीर्षक : आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम
परियोजना का संक्षिप्त शीर्षक :डी आर एम
प्रारंभ होने की अनुमानित तारीख :अगस्त 2002
समाप्त होने की अनुमानित तारीख :दिसम्बर 2007
कार्यान्वयन की प्रणाली : कंट्री ऑफिस के सहयोग से एन ई एक्स
कार्यपालक एजेंसी : गृह मंत्रालय (एम एच ए)
कार्यान्वयन कर्ता एजेंसी: यू एन डी पी कंट्री ऑफिस के सहयोग से गृह मंत्रालय (एम एच ए)|

बजट सार :

यू एन डी पी		वर्तमान	पिछला	परिवर्तन
टी आर ए सी (1 और 2)	$	7,000,000	2,000,000	5,000,000
टी आर ए सी (3)	$	-	-	-
अन्य	$	-	-	-
लागत आदान-प्रदान	$	-	-	-
सरकार	$	-	-	-
वित्तीय संस्थान	$	-	-	-
न्यास निधि	$	-	-	-
प्रशासन और प्रचालन सेवाएं	$	-	-	-
एस ओ एफ एच एम	$	-	-	-
एस ओ एफ 07	$	-	-	-
अन्य	$	-	-	-
कुल	$	-	-	-

कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार गैर-कोर स्रोतों से अतिरिक्त 20,000,000 अमेरिकी $ जुटाएगी ।
परियोजना राष्ट्रीय स्तर पर और चयनित राज्यों में लागू की जाएगी: असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय,उड़ीसा, सिक्किम, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश,पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु |

संक्षिप्त विवरण: इस कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र सरकार के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति में सहयोग देना और 12 राज्य सरकारों को सक्षम बनाना है ताकि वे विकासगत लाभों की आपदाओं के कारण होने वाली क्षति को न्यूनतम कर सकें और सम्भावित जोखिम को कम कर सकें | यह कार्यक्रम आपदा जोखिम प्रबंधन को सभी स्तरों पर शामिल करने के लिए एक ऐसा स्थायी मॉडल प्रस्तुत करेगा जिसमें जिला और समुदाय के स्तर किए जाने वाले कार्यों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा जिसके आधार पर भारत सरकार देश में स्थित खतरे की आशंका वाले शेष जिलों में भी इस उपागम और इस प्रक्रिया को अपनाएगी । सबसे अधिक बहु-संकट सम्भाव्य राज्यों और जिलों में से कुछ में समुदाय, पंचायत और अन्य प्रशासनिक स्तरों (ब्लॉक / तालुका, जिला और राज्य) पर बहु-संकट जोखिम प्रबंधन और सामान्य स्थिति बहाली के लिए स्थायी योजनाएँ तथा स्थिरता के लिए जिम्मेदार संस्थानों को सुदृढ़ बनाना एवं इन प्रयासों की प्रतिकृति करना इस परियोजना का महत्वपूर्ण प्राप्य है । राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम आपदा से निपटने की तैयारियों, अनुक्रिया, रोकथाम और शमन के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय को सहायता प्रदान करने का प्रयास है और इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की रूपरेखा में परिकल्पित की गई पहलों को शुरू करने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरण से जुड़े संभावित खतरों को कम करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से आपदाओं से निपटने के लिए यह कार्यक्रम महिलाओं पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए सभी स्तरों पर क्षमता संवर्धन करने में मदद करेगा ।
परियोजना का पहला चरण यूएनडीपी के 2 मिलियन अमरीकी $ के आदानों के साथ अगस्त 2002 में अनुमोदित किया गया था।

यह परियोजना संशोधन निम्नलिखित के लिए जारी किया जा रहा है:
(i) यूएनडीपी के 5 मिलियन अमरीकी $ के अतिरिक्त आदानों के साथ द्वितीय चरण को अनुमोदित करने के लिए |
(ii) नए परिणाम और संसाधन ढांचे का उल्लेख करने के लिए |
(iii) कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड द्वारा 1 नवंबर, 2002 को हुई इसकी बैठक में संस्तुत किए गए जेंडर परिशिष्ट (अडेंडम) को इस दस्तावेज में शामिल करने के लिए ।

	हस्ताक्षरकर्ता	तारीख	नाम/पदनाम
भारत सरकार, आर्थिक कार्य मंत्रालय की ओर से		27.03.03	पी.के. देब ,संयुक्त सचिव
कार्यपालक एजेंसी गृह मंत्रालय की ओर से		8.4.2003	आर. के सिंह, संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन)
यू एन डी पी की ओर से		18.04.03	ब्रेंडा गेल मेकस्वीनी,निवासी प्रतिनिधि

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

परियोजना संख्या : आई एन डी /02/006
परियोजना शीर्षक : आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम
परियोजना संक्षिप्त शीर्षक :डी आर एम
प्रारंभ होने की अनुमानित तारीख :अगस्त 2002
समाप्त होने की अनुमानित तारीख :दिसम्बर 2004
कार्यपालक एजेंसी : गृह मंत्रालय (एम एच ए)
कार्यान्वयन कर्ता एजेंसी: यू एन डी पी
उप कार्यक्रम स्थल : राष्ट्रीय और चुनिन्दा संवेदनशील राज्य (ओडिशा,बिहार, गुजरात)
अनुमोदन की तारीख :27.8.2002

यू एन डी पी तथा लागत आदान प्रदान का सार (संलग्न बजट के अनुसार)

यू एन डी पी		वर्तमान	पिछला
टी आर ए सी (1 और 2)	$	2,000,000	-
टी आर ए सी (3)	$	-	-
अन्य	$	-	-
लागत आदान-प्रदान	$	-	-
सरकार	$	-	-
वित्तीय संस्थान	$	-	-
तृतीय पक्ष	$	-	-
कुल	$	2,000,000-	-

संक्षिप्त विवरण: इस कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र सरकार के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति में सहयोग देना है और विकासगत लाभों की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानि को न्यूनतम करने तथा सम्भावित जोखिमों को कम करने के लिए दो उप-राष्ट्रीय नेटवर्किंग केन्द्रों में राज्य सरकारों को समर्थ बनाना इस कार्यक्रम का आधारभूत उद्देश्य है |यह कार्यक्रम, आपदा जोखिम प्रबंधन को सभी स्तरों पर शामिल करने के लिए एक ऐसा स्थायी मॉडल प्रस्तुत करेगा जिसमें जिला और समुदाय के स्तर किए जाने वाली कार्यों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा| सबसे अधिक बहु-संकट सम्भाव्य राज्यों और जिलों में से कुछ में समुदाय, पंचायत और अन्य प्रशासनिक स्तरों (ब्लॉक / तालुका, जिला और राज्य) पर बहु-संकट जोखिम प्रबंधन और सामान्य स्थिति बहाली के लिए स्थायी योजनाएँ तथा स्थिरता के लिए जिम्मेदार संस्थानों को सुदृढ़ बनाना एवं इन प्रयासों की प्रतिकृति करना इस परियोजना का महत्वपूर्ण प्राप्य है । राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम आपदा से निपटने की तैयारियों, अनुक्रिया, रोकथाम और शमन के लिए के संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय को सहायता प्रदान करने का प्रयास है| यह कार्यक्रम सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरण से जुड़े संभावित खतरों (जिनमें प्राकृतिक खतरे भी शामिल हैं) को कम करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से आपदाओं से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर क्षमता संवर्धन में मदद करेगा ।

	हस्ताक्षरकर्ता	तारीख	नाम/पदनाम
भारत सरकार की ओर से		19.08.02	आर्थिक कार्य मंत्रालय
कार्यपालक एजेंसी की ओर से		27.08.2002	गृह मंत्रालय
यू एन डी पी की ओर से		19. 08.02	ब्रेंडा गेल मेकस्वीनी,निवासी प्रतिनिधि, यू एन डी पी,नई दिल्ली

भारत सरकार /संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआर एम) कार्यक्रम
समुदायों तथा स्थानीय स्वशासन की सहभागिता के माध्यम से समुदाय आधारित आपदा तैयारी तथा जोखिम न्यूनीकरण

कार्यक्रम का सारांश

लगभग एक दशक से आपदा प्रबंधन क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने की केंद्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न पहलों में यू एन डी पी सहायता प्रदान कर रहा है | यू एन डी पी का प्रस्ताव है कि दो उप-राष्ट्रीय नेटवर्किंग केन्द्रों में समुदाय आधारित तथा स्त्रियों के प्रति संवेदनशील उपागमों को अपनाकर राष्ट्रीय स्तर पर और देश के कुछ सर्वाधिक अरक्षित क्षेत्रों में आपदा के प्रभाव को कम करने तथा सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए क्षमता को तेजी से बढ़ाया जा सकता है | इसे, इस प्रकार तैयार किया गया है कि देश में ऐसे राज्यों की सहायता की जा सके जहां प्राकृतिक आपदाओं के आने की संभावना सर्वाधिक है जैसे गुजरात, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, उतर प्रदेश, उत्तरांचल, असम, मेघालय और सिक्किम | **विषयगत फोकस, जागरूकता पैदा करने, शिक्षा, प्रशिक्षण और सामुदाय, जिला और राज्य स्तरों पर आपदा जोखिम प्रबंधन के संबंध में बेहतर तैयारी तथा सामान्य स्थिति की बहाली और चेतावनी के सटीक तथा समय पर प्रसारण के लिए राज्य तथा जिला आपदा प्रबंधन सूचना केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने पर रहेगा | गृह मंत्रालय को विशेषीकृत सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वह आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थागत तथा प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना करने में समर्थ हो सके | (संदर्भ:वल्नेरेबिलिटी एटलस, भारत सरकार)**|(संलग्न -अनुबंध-I क: कार्यक्रम के लिए अभिचिह्नित देश के सर्वाधिक बहु संकट संभावित जिलों की सूची)|

कार्यक्रम का समग्र उद्देश्य है "भारत के चुनिन्दा राज्यों में कुछ सर्वाधिक संकट-संभावित जिलों में आपदा जोखिम में निरंतर कमी लाना |"

पूर्वी और पश्चिमी भारत के आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए दो नेटवर्किंग केन्द्रों को अधिमान्य स्थलों के बतौर प्रस्तावित किया गया है क्योंकि विगत में जिन आपदाओं का सामना उन्होंने किया है, उनसे सीखे गए सबकों के संबंध में वे सामयिक रूप से अवस्थित हैं | इनकी अत्यधिक अरक्षित स्थिति को देखते हुए इनमें आपदा संभावित क्षेत्रों की समस्त विशेषताएँ हैं |

ये दोनों नेटवर्किंग केंद्र,राज्य प्रतिस्थानियों के साथ सम्पर्क को भी सुगम बनाएंगे और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए क्षमताओं को सुदृढ़ करने के यूएनडीपी के राष्ट्रीय प्रयासों में भी योगदान करेंगे | यह कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा संचालित सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों को भी सहायता प्रदान करेगा विशेष रूप से गरीबों के लिए की जाने वाली पहलों, अनिश्चितता में कमी, अरक्षितता के प्रति अनुकूलता और जलवायु परिवर्तनों के अभिसमय से संबंधित यू एन ढांचे के अंतर्गत मूल्यॉकन से संबंधित कार्यक्रमों को |

कार्यक्रम के परिणाम प्राप्त करने के लिए डीआर एम कार्यक्रम के लिए 12 राज्यों के 125 सर्वाधिक संकट संभावित जिलों में 6 वर्षों में 27 मिलियन अमरीकी डॉलर की अनुमानत: आवश्यकता होगी | यह कार्यक्रम एक बहुत बड़े कार्यक्रम के केंद्र का निर्माण करता है जिसके लिए अनेक दानकर्ताओं वाले ढाँचे के अंतर्गत संसाधन जुटाएं जाएंगे, जिस ढाँचे का भारत सरकार द्वारा गठन समग्र लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाएगा |

भारत सरकार - यूएनडीपी ने पहले सी सी एफ-| से 2 मिलियन अमरीकी डॉलर अनुमोदित किए थे ताकि गृह मंत्रालय को राष्ट्रीय स्तर की क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करने सहित उड़ीसा, बिहार और गुजरात के 28 जिलों में कार्यक्रम आरंभ किया जा सके |

चरण-I में 3 प्रायोगिक राज्यों में पंचायती राज संस्थानों (पी आर आई)तथा राज्य सरकारों जैसे समुदायों ने कार्यक्रम में परिकल्पित समुदाय आधारित दृष्टिकोण को हाथोंहाथ लिया है जहां सरकारों, सिविल सोसायटी और निजी क्षेत्र के साथ सफल भागीदारियां स्थापित की गई हैं | इस कार्यक्रम के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञों के एक समूह ने इस दृष्टिकोण और प्रक्रिया का मूल्यांकन किया तथा इसे प्रभावी तथा सतत पहल के रूप में उल्लेखनीय माना, टीम ने यह भी नोट किया कि दृष्टिकोण तथा मान इसे एक अग्रणी पहल बनाते हैं |चरण-I में गतिविधियों को सफलतापूर्वक आरंभ करने के पश्चात भारत सरकार ने यू एन डी पी की सहायता से देश के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का ढांचा और रूपरेखा को तैयार किया है और इस कार्यक्रम को आपदा जोखिम प्रबंधन में भावी राष्ट्रीय पहलों के लिए एक मंच बनाया है | भारत सरकार ने द्विपक्षीय तथा निधीयन भागीदारों से इस कार्यक्रम के लिए संसाधन जुटाने में पहल की है |

अब भारत के दस सर्वाधिक आपदा संभावित राज्यों में 45 जिलों में (1) राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर की अरक्षितता कम करने वाली नीतियों (2)जोखिम तथा अरक्षितता कम करने वाली विधियों के विकास (3)बहु संकट तैयारी तथा शमन योजनाओं के लिए अतिरिक्त 5 मिलियन अमरीकी डॉलर उपयोग में लाने का प्रस्ताव है |

रचनात्मकता,लचीलापन और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनेक स्तरों पर भागीदारियों की आवश्यकता इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण कारक हैं,अत: गृह मंत्रालय, राष्ट्र सहयोग ढाँचे से संसाधन जुटाने के लिए यूएनडीपी कार्यालय सहयोग सहित राष्ट्रीय कार्यान्वयन (एन ई एक्स)मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत कार्यक्रम का कार्यान्वयन करेगा |

भाग Iक :स्थिति का विश्लेषण

भारतीय उपमहाद्वीप में प्राकृतिक आपदाओं के आने की संभावना बहुत अधिक रहती है |बाढ़,सूखा,चक्रवात और भूकंप जैसी आपदाएँ भारत में बार-बार आती रहती हैं |आपदाओं की चपेट में आने की संभावना आग लगने, महामारियां फ़ैलाने आदि जैसी मानव निर्मित आपदाओं की पुनरावृत्ति होने से और अधिक बढ़ जाती है |1988 और 1997 के बीच आपदाओं में 5116 व्यक्ति मारे गए और 24.79 मिलियन लोग प्रतिवर्ष प्रभावित हुए

|पर्यावरणीय अवह्रास के कारण बदलती स्थलाकृति ने भी देश की अरक्षित स्थिति में वृद्धि की है| वर्ष 1988 में कुल भूक्षेत्र का 11.2 प्रतिशत बाढ़ प्रवण था किन्तु 1998 में बाढ़ ने 37 प्रतिशत भौगौलिक क्षेत्र को जल प्लावित कर दिया | हाल ही में भारत ने दो बड़ी अपादाओं का सामना किया है, पहली है उड़ीसा में आया अत्यंत शक्तिशाली चक्रवात (2001)| बार-बार आने वाली आपदाओं से विकास लब्धियों का क्षरण होता है और आपदा पीड़ितों के लिए सीमित विकल्प रह जाते हैं | शारीरिक सुरक्षा-विशेष रूप से अरक्षित समूहों की शारीरिक सुरक्षा के लिए जोखिम बना ही रहता है | इन दो बड़ी आपदाओं से यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि हमें प्राकृतिक संकटों से निपटने के लिए बहु-संकट निवारण,अनुक्रिया व सामान्य स्थिति बहाली योजनाओं की आवश्यकता है ताकि मानव जीवन व संपत्ति को होने वाले खतरे को कम किया जा सके |

आपदा जोखिम प्रबंधन अनिवार्यतः एक विकास संबंधी समस्या है और इसलिए किसी भी तैयारी तथा शमन योजना को उन पर्यावरणीय सरोकारों के साथ मिलाकर लागू किया जाए जिन सरोकारों का सामना आज देश कर रहा है | प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एनसीडीएम)का गठन किया है | इस राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन व अनुक्रिया तंत्रों को सुदृढ़ बनाएंगी | आपदा प्रबंधन संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच पी सी)का गठन पहले अगस्त 1999 में किया गया था | एचपीसी ने राष्ट्रीय,राज्य तथा जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं को सशक्त बनाने का अधिदेश दिया |एचपीसी की राहत वितरण

तथा मानव संसाधन विकास से संबंधित सिफारिशें,जो मुख्यत: राज्यों से संबंधित हैं,उपर्युक्त कार्रवाई के लिए राज्यों को संप्रेषित कर दी गई हैं | **राष्ट्रीय सरकार में गृह मंत्रालय, आपदा प्रबंधन के लिए नया नोडल मंत्रालय है |**

आपदा प्रबंधन को 'राज्य का विषय' माना जाता है और विभिन्न एजेंसियों ने आपदा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी अपनी एजेंसियों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास आरंभ कर दिए हैं | उड़ीसा आपदा शमन प्राधिकरण (ओएसडीएम) तथा गुजरात राज्य आपदा शमन प्राधिकरण (जीएसडीएम) का गठन उन दो बड़ी आपदाओं के घटित होने के बाद किया गया जिनका सामना इन दोनों राज्यों ने किया था | ये एजेंसियां संबंधित राज्य सरकारों की स्वायत एजेंसियां हैं और यूएनडीपी इन दोनों एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है | *यूएनडीपी प्राकृतिक आपदाओं की कमी, असामनता और जोखिम को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय तथा राज्य संस्थानों के साथ भागीदारी करता है |*

इस कार्यक्रम का अनिवार्य रूप से प्रयोजन है राज्यों की व राष्ट्रीय अनुक्रिया सहित कतिपय सार्वाधिक अरक्षित जिलों में सामुदायिक स्थानीय स्वशासनों तथा जिला प्रशासनों की अनुक्रिया, तैयारी व शमन उपायों को सुदृढ़ बनाना |(संदर्भ:वल्नेरेबिलिटी एटलस ,भारत सरकार)

सरकार तथा सिविल सोसाइटी अनुक्रिया योजनाओं तथा सरकारी संस्थानों और स्थानीय स्वशासनों के क्षमता निर्माण के बीच आपदा शमन तैयारी व सामान्य स्थिति की बहाली के संबंध में संपर्कसूत्र स्थापित करना इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक है | चयनित जिलों के सभी स्तरों पर **पंचायती राज तथा शहरी आयोजना संस्थाएं** इन पहलों की निरंतरता सुनिश्चित करने की आयोजना प्रक्रिया में सीधे शामिल होंगी | आयोजना प्रक्रिया के दौरान महिलाओं का व्यापक प्रतिनिधित्व इस परियोजना में परिकल्पित किया गया है | कार्यक्रम क्षेत्रों में महिलाओं के स्वसहायता समूह आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम में सीधे शामिल होंगे | यह परियोजना संबंधित सरकारी विभागों तथा संस्थानों के साथ मिलकर राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर कार्य करेगी | इस कार्यक्रम से सीखी गई बातों को भारत सरकार के राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम में तथा आपदा जोखिम प्रबंधन संबंधी वैश्विक ज्ञान आधार में अपनाया जाएगा |

भाग I ख : कार्यक्रम की कार्यनीति

भावी आपदाओं से निपटने की समुदायों,स्थानीय स्वशासनों तथा जिलों की क्षमताओं के सुदृढीकरण द्वारा यूएनडीपी सर्वाधिक बहु-संकट संभावित जिलों पर बल देते हुए आपदा प्रबंधन में राष्ट्रीय व राज्य प्रयासों को समर्थन देने की मंशा रखता है | इस कार्यक्रम का डिजाइन उड़ीसा और गुजरात राज्यों पर आई आपदाओं के बाद उन्हें प्रदान की गई सहायता की रूपरेखा पर आधारित है | प्रत्येक स्तर पर अर्थात समुदाय और स्थानीय स्वशासनों के स्तर पर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में,जिला तथा राज्य प्रशासन और राष्ट्रीय संस्थानों के स्तर पर क्षमता निर्माण की आवश्यकता है |

भवन निर्माण सामग्री संवर्धन तथा प्रौद्योगिकी परिषद (बीएमपीटीसी) द्वारा तैयार की गई वल्नरेबिलिटी एटलस के आधार पर भारत सरकार यूएनडीपी तथा गृह मंत्रालय ने देश में 199 बहु-संकट संभावना वाले जिलों की पहचान की है |चुनिन्दा राज्यों में यूएनडीपी समस्त बहु-संकट संभावना वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो प्राकृतिक संकटों के प्रति अत्यधिक अरक्षित हैं जैसे **गुजरात, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र,दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, असम, मेघालय और सिक्किम** ताकि आपदा जोखिम प्रबंधन पर कार्यक्रम तैयार किया जा सके । इस कार्यक्रम में एक बहु-आयामी रणनीति अपनाई जाएगी :

- आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए प्रशासनिक, संस्थागत, वित्तीय और कानूनी तंत्र, सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय को समर्थन।
- नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज [एनसीडीसी] और नेशनल फायर सर्विस कॉलेज [एनएफएससी] के लिए समर्थन सहित समुदायिक तथा स्थानीय स्वशासन की तैयारियों और अनुक्रिया में इसकी भूमिका को मजबूत बनाने के राष्ट्रीय सरकार [गृह मंत्रालय] के प्रयासों में सहायता देना |

- **गुजरात, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल,महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, असम, मेघालय और सिक्किम** में आने वाले 125 सबसे संवेदनशील जिलों में,दो चरणों में व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम। ये राज्य विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अरक्षित हैं और आपदा रोकथाम, अनुक्रिया तथा सामान्य स्थिति बहाली को सभी को बहु-संकट संभावना वाले जिलों में सुदृढ़ बनाने से आपदा के जोखिम को न्यूनतम किया जा सकेगा। कार्यक्रम के घटकों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

-राज्य और जिला आपदा प्रबंधन योजना का विकास।

- ग्राम / वार्ड, ग्राम पंचायत, ब्लॉक/ शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर आपदा जोखिम प्रबंधन और अनुक्रिया की योजनाओं का विकास ।
- सभी समितियों और टीम में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के साथ सभी स्तरों पर आपदा प्रबंधन टीमों और समितियों का गठन (ग्राम/वार्ड, ग्राम पंचायत, ब्लॉक/ शहरी स्थानीय निकाय, जिला और राज्य)।
- सभी स्तरों पर आपदा प्रबंधन टीमों को सक्षम बनाना । प्राथमिक चिकित्सा, आश्रय प्रबंधन, जल और स्वच्छता, बचाव और निकासी आदि के क्षेत्र में महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण |
- आपदा की आशंका वाले जिलों में मकानों के लिए चक्रवात और भूकंपरोधी सुविधाओं सुदृढ़ बनाना, रेट्रोफिटिंग में प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन इकाइयों का निर्माण ।
- स्थानीय स्वशासनों की विकास योजनाओं के साथ आपदा प्रबंधन योजनाओं का समेकन |
- सुपर साइक्लोन (1999) और उड़ीसा में 2001 में आई बाढ़ ने चक्रवात और बाढ़ के लिए प्रभावी आपदा प्रबंधन प्रणालियों के डिजाइन में कई सबक प्रस्तावित किए हैं। इसी तरह, गुजरात के पास भूकंप की अनुक्रिया और सामान्य स्थिति बहाली के संबंध में कई सर्वोत्तम प्रणालियाँ है। यूएनडीपी, इन दोनों राज्यों में प्रमुख हितधारकों के साथ अंतरंग रूप से काम कर रहा है। यूएनडीपी, समुदाय आधारित आपदा कमी की सफल पहलों को दोहराने तथा बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम राज्यों में सरकारों, नागरिक समाज संगठनों और संस्थाओं को तथा उड़ीसा और गुजरात में खतरे की सर्वाधिक आशंका वाले 125 जिलों में सामान्य स्थिति बहाली के लिए समर्थन प्रदान करेगा ।

आपदा जोखिम प्रबंधन पर तीन तरीके से ध्यान दिया जा सकता है: संरचनात्मक उपायों, गैर-संरचनात्मक उपाय और विफलता रोधी (फेल सेफ) संचार नेटवर्कों की स्थापना ।

संरचनात्मक उपाय आपदाओं के प्रभाव को कम करेंगे और गैर-संरचनात्मक उपाय समुदाय, स्थानीय स्वशासनों, शहरी निकायों और राज्य के प्राधिकरणों के प्रबंधन कौशल को संवर्धित करेंगे तथा इनकी क्षमताओं को बेहतर बनाएंगे ताकि आपदाओं के संबंध में तैयारी, निवारक कार्रवाई व और अनुक्रिया प्रभावी ढंग से की जा सके । गैर-संरचनात्मक उपायों अत्यंत महत्व के होते हैं, और आपात स्थिति, आदि से निपटने के लिए इनमें मानचित्रण, जोखिम

मूल्यांकन विश्लेषण, संकट क्षेत्रीकरण(जोनिंग), संसाधनों की सूची को शामिल किया जाता है |

परियोजना में निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:

- आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए प्रणाली और ढांचे की स्थापना के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) को उपयुक्त विशेषकृत समर्थन।

-अरक्षितता, आपदा जोखिम प्रबंधन और सतत सामान्य स्थिति बहाली पर राष्ट्रीय / राज्य डाटाबेस का विकास ।

- आपदा जोखिम प्रबंधन और संस्थाओं के क्षमता निर्माण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सहायता के माध्यम से राष्ट्रीय और राज्य सरकारों को सुदृढ़ बनाना।

- प्रत्येक कार्यक्रम राज्य के लिए आपदा से बचाव और तैयारियों संबंधी जागरूकता अभियान।

- स्कूलों के लिए आपदा निवारण और अनुक्रिया में स्कूल के पाठ्यक्रम और अभ्यास अनुसूची में आपदा प्रबंधन को शामिल करने के लिए समर्थन।

- आपदा जोखिम प्रबंधन योजनाओं के विकास में शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी को बढ़ावा देना।

- प्रत्येक राज्य के लिए जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, गांवों / वार्ड के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण मैनुअल स्थानीय भाषाओं में तैयार करना ।

- आपदा स्थितियों में बचाव, राहत और बहाली में नागरिक समाज संगठनों सहित सभी हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण गतिविधियों और निहित उपकरणों का उपयोग।

- जिला बहु-संकट तैयारी और शमन योजनाओं को ब्लॉक / यूएलबी, ग्राम पंचायत, ग्राम / वार्ड में शामिल करना जिसमें अरक्षितता मानचित्रण(मैपिंग) हो, जोखिम मूल्यांकन और विश्लेषण योजना बना रही है, जोखिम क्षेत्रीकरण, संसाधन सूची, अनुक्रिया संरचना, आदि निहित होंगे |

- तैयारी और त्वरित रिकवरी अभियानों के लिए शीघ्र पूर्व चेतावनी और सूचना के प्रवाह के सटीक प्रसार के लिए कार्यक्रम राज्यों और जिलों में आपदा प्रबंधन की जानकारी को सुदृढ़ बनाना ।

- संकट-रोधी आवासन के लिए प्रभावी वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों का प्रचार-प्रसार जिसमें अनुरूपांतर(रेट्रोफिटिंग) / छत पर वर्षा जल संचयन दीर्घकालिक शमन उपाय के रूप में शामिल होंगी ।

-अरक्षितता और जोखिम सूचकांक और वार्षिक अरक्षितता और जोखिम न्यूनीकरण रिपोर्ट तैयार करना ताकि आपदा जोखिम प्रबंधन का मूल्यांकन करने के लिए मानदंड बनाएं जा सकें ।

पूरे कार्यक्रम को छह साल के लिए दो चरणों में विभाजित किया जाएगा । पहले चरण में [2002-2004], राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में गृह मंत्रालय को सहायता प्रदान करना और उड़ीसा, गुजरात और बिहार के 28 सबसे अधिक संवेदनशील जिलों में गहन प्राकृतिक आपदा

जोखिम प्रबंधन गतिविधियां आयोजित करना | इस चरण के दौरान सीसीएफ-I से,I-2 मिलियन अमरीकी डालर उपलब्ध होंगे ।

द्वितीय चरण [2003-2007] में कार्यक्रम सहायतार्थ **तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, असम,सिक्किम,उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और मेघालय,** शेष बचे **राज्यों और** सीसीएफ-I के प्रायोगिक **राज्यों के कुछ और जिलों को सहायता प्रदान की जाएगी |** सभी कार्यक्रम राज्यों में जोखिम और आरक्षितता अनुक्रमण(इंडेक्सिंग) और रिपोर्टिंग की शुरुआत की जाएगी और गृह मंत्रालय को लिए संस्थागत समर्थन दिया जाएगा । सभी कार्यक्रम राज्यों में कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में रह गई कमी को पूरा करने के लिए और राष्ट्रीय स्तर के क्षमता निर्माण की पहलों के लिए दानदाताओं से संसाधन जुटाए जाएंगे ।

संसाधन जुटाने की कार्यनीति

यह कार्यक्रम सीसीएफ-I के 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर और सीसीएफ-II के 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से शुरू किया जाएगा और आपदा जोखिम को कम करने के लिए और सतत सामान्य स्थिति बहाली के लिए भारत सरकार की एक बहुत बड़ी पहल के केंद्र का निर्माण करेगा | गृह मंत्रालय का उद्देश्य है इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत के 12 राज्यों में सर्वाधिक बहु-संकट संभावित आपदा जोखिम प्रबंधन की जरूरतों पर ध्यान देना | छह साल की अवधि में इस कार्यक्रम के लिए लगभग 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संसाधनों की आवश्यक होगी | इस कार्यक्रम के लिए धन जुटाने के लिए यूएनडीपी की सहायता से गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न दानकर्ताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया जाएगा।

भाग I ग: लक्ष्य और उद्देश्य

लक्ष्य: भारत के चुनिंदा राज्यों में कुछ सर्वाधिक संकट संभावित जिलों में आपदा जोखिम में सतत कमी लाना |

संकेतक (सूचक): इस लक्ष्य की प्राप्ति के संकेतक इस प्रकार होंगे :

-तेजी से आपदा रिकवरी (सामान्य स्थिति बहाली)में शामिल मान लिया गया जोखिम न्यूनीकरण।

-आपदा शमन और विकास लब्धियों की सुरक्षा ।

-आपदा जोखिम के विचारों को मुख्यधारा में लाना ।

-आपदा की तैयारियों में स्त्रियों और पुरूषों को समान रूप से शामिल करना ।

पीएसओ-I गृह मंत्रालय में प्राकृतिक आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए इस प्रणाली को संस्थागत रूप देने के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण।

पीएसओ-II प्राकृतिक आपदा जोखिम प्रबंधन और सतत सामान्य स्थिति बहाली में सभी स्तरों पर वातावरण के निर्माण, शिक्षा, जागरूकता कार्यक्रम एवं सुदृढ़ीकरण क्षमताएं।(नियम पुस्तिकाओं और प्रशिक्षण मॉड्यूल, सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री का विकास और इनका प्रसार, जागरूकता अभियान नीति और आपदा का न्यूनीकरण और सामान्य स्थिति बहाली के लिए इनका कार्यान्वयन।)

पीएसओ-III 12 चयनित राज्यों के 125 सर्वाधिक बहु-संकट वाले जिलों में राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव और वार्ड स्तर पर आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए अनेक संकटों से निपटने की तैयारियों, अनुक्रिया और शमन योजनाएँ ।

पीएसओ-IV आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए प्रभावी दृष्टिकोण, विधियों और उपकरणों पर नेटवर्किंग जानकारी और राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत ढाँचे का विकास और संवर्धन करना ।

परिकल्पित की गईं गतिविधियां इस प्रकार हैं:

पीएसओ I तहत गतिविधियां :

- समुदाय के स्तर पर महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के अंतर्निर्मित तंत्र सहित आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए लिए प्रशासनिक, संस्थागत, वित्तीय और कानूनी प्रणालियों की स्थापना के लिए गृह मंत्रालय को सहायता प्रदान करना |
-राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम को निरंतर जारी रखने के लिए पदाधिकारियों में क्षमता का निर्माण करना ।
- एनसीडीसी और एनएफएससी को आपदा प्रबंधन के लिए स्रोत केन्द्रों के रूप में सुदृढ़ बनाने के लिए सहयोग देना |
- आपदा जोखिम प्रबंधन और सतत रिकवरी के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को समझने के लिए जानकारी लेने संबंधी दौरे |
- देश में, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए नीतिगत पहलों के विकास की रूपरेखा तैयार करने के लिए सहायता और उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट के काम से मदद लेना और स्त्रियों को मुख्यधारा में लाने के लिए सचेत प्रयास करना (नीति में, तैयारियों में, शमन तथा अनुक्रिया में महिलाओं और नि:शक्त जन की आवश्यकताओं पर विशेष रूप से विचार करते हुए) तथा आपदा प्रबंधन के सभी स्तरों पर विकेन्द्रीकरण (आपदा प्रबंधन गतिविधियों और योजना में समुदाय के स्तर पर पीआरआई स्वामित्व सुनिश्चित करना)।

पीएसओ II के तहत गतिविधियां:

-राष्ट्रीय और राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों प्रशिक्षण संस्थानों, निजी क्षेत्र आदि के साथ क्षेत्र विशेष आपदा न्यूनीकरण व सामान्य स्थिति बहाली संबंधी नीतियों के लिए राज्य, जिला और उप जिला स्तर पर परामर्श ।
- चयनित राज्यों में कार्यक्रम के लिए जिलों को अंतिम रूप देना।
- आपदा जोखिम प्रबंधन और शमन की जरूरत के संबंध में महिला प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थाओं सहित सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाना ।
- चयनित जिलों में आपदा जोखिम प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिए राज्य विशिष्ट जागरूकता अभियान तथा कार्यनीतियां तैयार करना | (संकट को ध्यान में रखते हुए 'करने', 'न करने योग्य बातें',निवारक उपायों के लिए जांचसूची, आदि)
-कार्यशालाओं / संगोष्ठियों / प्रशिक्षण पोस्टरों / पत्रकों, वॉल पेंटिंग और आपदा जोखिम प्रबंधन दिवस / सप्ताह के आयोजन के माध्यम से चयनित जिलों में समस्त ग्रामों /वार्डों

सहित सभी स्तरों पर जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रमों का आयोजन । इन कार्यक्रमों के आयोजन में समस्त समुदायिक स्तर, महिला स्वयंसेवियों, गांव स्तर के पदाधिकारियों और पंचायती राज संस्थाओं की सेवाएं ली जाएँगी ।

-आपदा प्रबंधन के संबंध में स्कूल प्राइमरों का विकास, शिक्षकों को पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण, तैयारी और अनुक्रिया गतिविधियां, स्कूलों में मॉक ड्रिल, आदि

- आपदा जोखिम प्रबंधन और अनुक्रिया योजनाओं की तैयारी के लिए जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, सामुदायिक और वार्ड स्तर के लिए मैनुअल तैयार करना ।

- चयनित जिलों में संकटरोधी घरों के डिजाइन और निर्माण के लिए मैनुअल तैयार करना ।

-अनुरूपांतर,छत पर वर्षा जल संचयन सुविधाओं आदि के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल मैनुअल तैयार करना |

- गांव / वार्ड आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन और अनुक्रिया योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया के संबंध में सभी हितधारकों को प्रशिक्षण ।

- **आपदा प्रबंधन टीमों [डीएमटी]** के प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण के लिए नियम पुस्तकें, सभी स्तरों पर सटीक चेतावनी का प्रचार, खोज और बचाव अभियान, प्राथमिक चिकित्सा, पानी और साफ-सफाई, आश्रय प्रबंधन, त्वरित अनुक्रिया और सामान्य स्थिति बहाली के लिए परामर्श और नुकसान का आकलन,संकट के समय राहत सामग्री का का बेहतर उपयोग और बेहतर समन्वय| समस्त नियमपुस्तकों में विकलांग व्यक्तियों, बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, आदि जैसे विशेष समूहों की सामान्य स्थिति बहाली संबंधी आवशयकताओं पर ध्यान दिया जाएगा |

पीएसओ III के तहत गतिविधियां:

- 12 कार्यक्रम राज्यों में 125 बहु-संकट संभावित जिलों की जोखिम मॉडलिंग के साथ-साथ भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के आधार पर संकट और अरक्षितता मानचित्रण।
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर नोडल एजेंसियों और भागीदारों के वर्किंग नेटवर्क की पहचान व स्थापना करना ।
- स्त्री-पुरूष समता को मुख्य धारा में लाने के लिए समितियों का गठन करना।
- राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, ग्राम / वार्ड **आपदा प्रबंधन समितियों [डीएमसी]** का गठन जिनमें सभी संबंधित सरकारी विभाग / पदाधिकारी, वरिष्ठ नागरिक, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सामाजिक सेवा (एनएसएस), नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस), जिला सैनिक बोर्ड,निर्वाचित सदस्य (पीआरआई), गैर-सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ) और अन्य नागरिक समाज अनुक्रिया समूह शामिल होंगे । प्रत्येक डीएमसी में महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व होगा और समुदाय के स्तर पर, स्कूल शिक्षक, विकलांग जन, ग्राम स्वयंसेवक और पृथक बस्तियों के सदस्य शामिल होंगे।
- सभी बहु-संकट संभावित जिलों में अरक्षितता मानचित्रण और जोखिम निर्धारण और महिलाओं, विकलांग जन और बच्चों की अरक्षितता तथा जोखिम पर विशेष ध्यान | महिलाएँ

तथा नि:शक्त व्यक्ति,सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग आदि योजना तैयारी कार्य का अभिन्न अंग होंगे |

- जिला, ब्लॉक, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ग्राम / वार्ड स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना |
- आपात स्थिति के दौरान त्वरित अनुक्रिया के लिए सभी स्तरों पर संसाधनों की सूची तैयार करना-तत्काल निर्णय लेने के लिए नक्शे पर संसाधनों को दर्शाने के लिए जीआईएस का उपयोग करना |
- गांव / वार्ड से लेकर जिला स्तर तक आपदा अनुक्रिया संरचना का विकास।
- सभी स्तरों पर **आपदा प्रबंधन टीमों [डीएमटी]** का गठन व प्रशिक्षण । प्रत्येक डीएमटी महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। सभी स्तरों पर डीएमटी के सदस्यों को विशेष समूहों की प्रतिक्रिया और वसूली की जरूरतों से अवगत कराया जाएगा।
- डीएमटी के सदस्यों के लिए पहचान एप्रन और आपातकालीन अनुक्रिया किटें।

- विभिन्न स्तरों पर-राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव / वार्ड स्तरों पर आपदा अनुक्रिया मॉक ड्रिल ।
-राष्ट्रीय नियंत्रण कक्ष, राज्य नियंत्रण कक्ष और जिला आपदा प्रबंधन सूचना केंद्रों में सटीक / प्रयोक्तानुकूल चेतावनी के प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारित चेतावनी प्रणालियों की स्थापना |
- आपदा जोखिम प्रबंधन और विकास संबंधित सूचनाओं तक एवं जिला आपदा प्रबंधन सूचना केंद्रों तक नागरिकों की पहुँच को संभव बनाना ।
-जिलों को सहायता : आपातकालीन किट [जैसे मोबाइल कंट्रोल रूम, नौकाएँ, तंबू, आदि]
- किफायती आपदा प्रतिरोधी मकानों और अनुरूपांतर विशेषताओं में राजमिस्त्रियों और इंजीनियरों के कौशल उन्नयन के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा | महिला निर्माण कर्मियों को राजमिस्त्री के रूप में प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और प्रशिक्षण सत्र महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे |
-चयनित जिलों में शमन उपायों के बतौर अनुरूपांतर पहलों और छत पर वर्षा जल संचयन को दर्शाने वाली मॉडल प्रौद्योगिकी प्रदर्शन इकाइयों तथा महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

पीएसओ IV के तहत गतिविधियां:

-आपदा जोखिम प्रबंधन और आपदा अनुक्रिया योजनाओं पर राष्ट्रीय डेटाबेस।
-प्राकृतिक आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए क्षमता मूल्यांकन और राष्ट्रीय प्रशिक्षण की योजना|
- आपदा जोखिम प्रबंधन की योजना के विकास के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई) का क्षमता निर्माण ।
- प्रत्येक राज्य के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन सूचकांकों पर अनुसंधान और प्रलेखन।

- जोखिम और अरक्षितता न्यूनीकरण सूचकांक और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना ।

- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में व्यापक परिचालन के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में भारत की सर्वोत्तम प्रणालियों का प्रलेखन और आदान-प्रदान |

-आपदा प्रबंधन, स्त्री-पुरूष समानता, विकेन्द्रीकरण आदि को मुख्यधारा में लाने के लिए और सर्वोत्तम प्रणालियों व सीखे गए सबकों का राज्यों के बीच विनियम करने के लिए डी आर एम कार्यक्रम कार्यान्वयन भागीदारों (राष्ट्रीय और राज्य सरकारों, यूएनडीपी, आदि) को परस्पर जोड़ने के लिए एक वेब साइट का विकास और उपयोग ताकि गतिविधियों, दृष्टिकोणों, पद्धतियों को साझा किया जा सके ।

-आपदा जोखिम प्रबंधन और वैश्विक जलवायु परिवर्तन संपर्क-सूत्रों के बीच परामर्श और अध्ययन।

- राज्यों के लिए जीआईएस आधारित आपदा अरक्षितता डेटाबेस तैयार करना और जोखिम तथा अरक्षितता रिपोर्ट तैयार करने के लिए इनका उपयोग करना तथा राष्ट्रीय और राज्य की आपदा जोखिम प्रबंधन नीति को निदेशित करने के लिए नीतिगत(दस्तावेज़) के रूप में इसका प्रयोग करना ।

भाग II: परिणाम ढांचा (फ्रेमवर्क)

सभी गतिविधियों की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) नोडल एजेंसी है।इस कार्यक्रम में नोडल मंत्रालय को क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है ।

मध्यस्थता का प्रयोजन नोडल एजेंसी के उचित मार्गदर्शन के माध्यम से गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठन और निजी क्षेत्रों सहित सभी हितधारकों को शामिल करके विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के प्रति इन राज्यों के और जिलों के जोखिम और अरक्षितता को कम करना है।इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह भी है कि आपातस्थिति के समय उचित अनुक्रिया दर्शाने के लिए पदाधिकारियों की क्षमता का संवर्धन किया जाए, जिसका प्रत्याशित परिणाम होगा गांव, जिले से लेकर राज्य स्तरों तक पैदा होने वाली अत्यधिक जागरूकता । अनुसंधान केंद्र और प्रशिक्षण संस्थान प्रत्येक राज्य के लिए एक उपयुक्त कार्यनीति तैयार करने में और अन्य क्षेत्रों में इस परियोजना के परिणामों को दोहराने का समर्थन करने में सहायता करेंगे | इससे जानकारी के आदान-प्रदान और संकट के दौरान एक दूसरे की मदद के लिए सभी परियोजना राज्यों के बीच नेटवर्किंग स्थापित करना भी सुगम हो जाएगा।इसके साथ ही सभी नियंत्रण कक्षों को भी उपकरण और प्रचालन मैनुअल उपलब्ध कराकर सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि ये आपदा प्रबंधन सूचना केन्द्रों के रूप में कार्य कर सकें। जिला स्तर पर स्थापित किए गए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) केन्द्र समुदाय की अन्य सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ समुदाय द्वारा आपदा जोखिम प्रबंधन के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त किए जाने को संभव बनाएंगे ।

कार्यक्रम के प्रत्यक्ष परिणाम निम्नलिखित हैं:

- प्राकृतिक आपदा जोखिम प्रबंधन प्रकोष्ठ के लिए गृह मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया प्रशासनिक और संस्थागत ढांचा।
-प्राकृतिक आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए गृह मंत्रालय की क्षमता में संवर्धन |
-गृह मंत्रालय में वैज्ञानिक चेतावनी प्रसार प्रणाली वाला आपदा जोखिम प्रबंधन सेल जो कार्यान्वयन एजेंसियों को पर्याप्त और समय पर समर्थन प्रदान करने में सक्षम होगा ।
- व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन ढांचा और प्रस्तावित 6 साल के भीतर 12 कार्यक्रम राज्यों के 125 जिलों में सामान्य स्थिति बहाली नीतियां ।
- खतरे की आशंका वाले 125 जिलों में आपदा जोखिम प्रबंधन और शमन के विषय में सजग और प्रबुद्ध समुदाय ।
- प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में महिलाओं और बच्चों की अरक्षितता व जोखिम को ध्यान में रखते हुए 125 बहु-संकट संभावित जिलों में बहु-संकट आपदा जोखिम प्रबंधन, अनुक्रिया और शमन योजनाएं |
- आपदा तैयारियों और जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में 125 जिलों स्थानीय स्वशासनों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की अधिक भागीदारी।
- राज्य स्तर पर तथा सभी चयनित जिलों में समय-समय पर जोखिम प्रबंधन व अनुक्रिया योजनाओं के विकास एवं अद्यतनीकरण में नोडल एजेंसी के सरकारी कर्मचारियों की संवर्धित क्षमता |
- प्राथमिक चिकित्सा आश्रय प्रबंधन, जल और स्वच्छता और बचाव निकासी के क्षेत्र में महिलाओं की क्षमता में संवर्धन |
-चयनित राज्यों और जिलों में सुसज्जित आपदा जोखिम प्रबंधन सूचना केन्द्र।
- 12 राज्यों के समस्त चयनित जिलों में आपातकालीन किट ।
- अन्य राज्यों में प्रतिकृति के लिए मैनुअल, प्रशिक्षण मॉड्यूल और जागरूकता कार्यनीतियों की उपलब्धता।

- आपदा जोखिम प्रबंधन में प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता में संवर्धन ।
- संकटरोधी आवासों के लिए कुशल प्रशिक्षित राजमिस्त्री और इंजीनियर।
- छत पर वर्षा जल संचयन के लिए अनुरूपांतर करने की सर्वोत्तम प्रणालियों के प्रचार-प्रसार के लिए मॉडल |
- हितधारकों की बेहतर भागीदारी के लिए ज्ञान नेटवर्क|
- प्राकृतिक आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए तैयार किया गया राष्ट्रीय और राज्य डेटाबेस ।
- जरूरतमंद राज्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संसाधनों के आवंटन के लिए विकास कार्यक्रमों में अरक्षितता न्यूनीकरण के समेकन के लिए तैयार की गई अरक्षितता तथा जोखिम न्यूनीकरण की रिपोर्टें ।

कार्यक्रम के अप्रत्यक्ष परिणाम निम्नलिखित हैं:

- आपदा राहत पर खर्च कमी एवं तैयारी के उपायों में निवेश को बढ़ाना ।
- समुदाय द्वारा आपदा राहत लागत को साझा करना ।
- तैयारियों के लिए आत्मनिर्भर गांव, ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिले ।
- क्षेत्र विकास योजनाओं में सेवा और संपर्क सूत्रों का अभिसरण (कन्वर्जेंस)।
- लोगों की जागरूकता और भागीदारी में वृद्धि हुई।
- सूचना तक लोगों की पहुँच बनी |
- आवास निर्माण की लागत में कमी आई।

भाग III: प्रबंधन व्यवस्थाएं

III निष्पादन की व्यवस्थाएं

गृह मंत्रालय, भारत सरकार इस कार्यक्रम पर राष्ट्रीय निष्पादन [एनईएक्स] मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत अमल करेगा । इस कार्यक्रम में विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न हितधारकों के साथ भागीदारी शामिल है | इसका उद्देश्य सर्वाधिक बहु-संकट संभावित राज्यों और जिलों तक पहुँचना है अत: इसका फोकस बहु-राज्यीय है | यह कार्यक्रम समुदायों और नागरिक समाज संगठनों के साथ घनिष्ठ साझेदारी स्थापित करना चाहता है| इसके कार्यान्वयन में निहित जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम प्राकृतिक आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए अधिक लचीलेपन, रचनात्मकता और नवीन दृष्टिकोणों को अपनाए जाने की मांग करता है |

संस्थागत व्यवस्थाएं

- राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय : गृह मंत्रालय, भारत सरकार, देश सहयोग ढांचा संसाधनों से समर्थित इस कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी होगा।सचिव, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता वाला एक कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड (पीएमबी) भी होगा जो इस कार्यक्रम को समग्र मार्गदर्शन प्रदान करेगा । संयुक्त सचिव [डीएम] गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में संचालन समिति (पीएससी) का गठन किया जाएगा, जिसकी कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने के लिए तिमाही बैठक होगी ।

- राज्य स्तर पर निगरानी: प्रत्येक राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक राज्य संचालन समिति (एसएससी)होगी जो आवधिक अंतराल पर कार्यक्रम की समीक्षा करेंगी।समिति में निष्पादक एजेंसियां, कार्यान्वयक एजेंसी और यूएनडीपी शामिल हो सकते हैं । वर्ष के अंत में कार्यक्रम के प्रभाव की जांच करने के लिए यूएनडीपी- भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जाएगा।
- वित्तीय व्यवस्था और लेखा परीक्षा आर्थिक कार्य विभाग और यूएनडीपी के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तथा देश के कार्यालय सहायता समझौतों के लिए स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार की जाएगी ।

यूएनडीपी का देश में स्थित दिल्ली कार्यालय कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार के साथ संपर्क स्थापित करेगा और आयोजना, कार्यान्वयन, संसाधन जुटाने और वित्तीय प्रबंधन के लिए राज्य के कार्यालयों के लिए प्रभावी समर्थन प्रदान करेगा ।

III ख कार्यान्वयन व्यवस्थाएं:

यह कार्यक्रम, कार्यक्रम राज्यों और जिलों में राज्य नोडल संस्थाओं और कार्यक्रम गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत लागू किया जाएगा।

राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन ढांचे को विकसित करने तथा आपदा जोखिम प्रबंधन के संस्थागत, प्रशासनिक, तकनीकी-कानूनी और कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी, गृह मंत्रालय को समर्थन प्रदान किया जाएगा | बारह राज्यों में से प्रत्येक राज्य में नोडल एजेंसियों को एक प्रशिक्षित राज्य परियोजना अधिकारी का समर्थन प्रदान किया जाएगा जो आपदा जोखिम प्रबंधन योजनाओं के विकास के लिए समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन का विशेषज्ञ होगा।सुचारू निष्पादन और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य नोडल एजेंसियां राज्य में मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों / संसाधन इकाइयों की सहायता लेंगी ताकि आपदा जोखिम प्रबंधन योजना का उन्नयन किया जा सके और प्रशिक्षण क्षमताओं को उन्नत बनाया जा सके | इसके अलावा प्रत्येक कार्यक्रम जिले में आपदा प्रतिरोधी / लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी [राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवी] का एक इंजीनियर विशेषज्ञ उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आवासन क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अंतरण को खतरारोधी आवास कार्यक्रम के लिए राजमिस्त्रियों और इंजीनियरों के प्रशिक्षण को, मॉडल रेट्रोफिटिंग पहलों तथा छत पर वर्षा जल संचयन सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जा सके ।पूरे कार्यक्रम का पर्यवेक्षण और प्रबंधन प्रमाणित परियोजना प्रबंधन क्षमताओं वाले एक वरिष्ठ पेशेवर द्वारा किया जाएगा ।

राज्य कार्यालय, अनुसंधान गतिविधियों को संचालित करने और प्रत्येक कार्यक्रम राज्य को प्रशिक्षण मैनुअल, मार्गदर्शी सिद्धांतों के रूप में सहायता प्रदान करने तथा पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधन केन्द्रों के सुदृढीकरण, प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम के तहत एटीआई के लिए समर्थन, ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यक्रमों तथा गरीबों के पक्ष में की जाने वाली समस्त समुदाय आधारित पहलों जैसे अन्य यूएनडीपी समर्थित कार्यों का डेटाबेस तैयार करने को भी सुगम बनाएगा |

गांव / वार्ड आधारित बहु-संकट तैयारी और अनुक्रिया योजनाएं स्थानीय संस्थानों द्वारा तैयार की जाएंगी मौजूदा विकास कार्यक्रम के साथ संपर्क स्थापित किया जाएगा ताकि अरक्षितता के कारणों पर ध्यान दिया जा सके ।सभी स्तरों पर स्थानीय स्व-शासन दीर्घावधि में इस कार्यक्रम को निरंतरता रूप से जारी रखने के लिए इन प्रयासों में सीधे शामिल होंगे । आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ और अनुभवी परियोजना प्रबंधन पेशेवर जिनकी आपदा पश्चात की स्थितियों में सामुदायिक स्तर पर आपदा जोखिम प्रबंधन में विशेषज्ञता राज्य तथा जिला सरकारों, नागरिक समाज के भागीदारों तथा समुदायों के साथ मिलकर काम करेंगे।

III ग : कार्यान्वयन प्रक्रिया

आपदा प्रबंधन योजना ग्राम / वार्ड स्तर से शुरू होगी है और चयनित जिलों में पंचायत, ब्लॉक, जिला और शहरी स्थानीय पर समान नियोजन के माध्यम से समेकित की जाएगी | गांव आधारित प्राकृतिक आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम को चयनित कार्यक्रम जिलों में निष्पादित करने के लिए ग्राम स्वयंसेवकों का एक संवर्ग तैयार किया जाएगा | ये ग्राम स्वयंसेवक समुदाय में से तैयार किए जाएंगे जिसके लिए नागरिक समाज संगठनों जिसे एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, स्काउट और गाइड तथा सिविल डिफेंस आदि की मदद ली जाएगी । समुदाय की आवश्यकता के अनुसार संकटरोधी आवासों के निर्माण के लिए और सूचनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए समुदाय आधारित तैयारी और अनुक्रिया योजनाओं,कौशल विकास के माध्यम से ये योजनाएँ आपदा जोखिम निवारण व सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली पर ध्यान केन्द्रित करेंगी |आपातकालीन अनुक्रिया के लिए राज्य तथा जिला स्तरों पर आपदा डाटा बेस तैयार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ उत्तरदायी होंगे |

वर्ष 2002 - 2004 के दौरान ग्राम आकस्मिकता योजना, ग्राम पंचायत, गांव आपात योजना सहित कार्यक्रम, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं के विकास और **आपदा प्रबंधन समितियों** और डी टी एम के गठन के निर्माण सहित व्यापक ग्राम आधारित आपदा तैयारी कार्यक्रम के अंतर्गत 28 जिलों को शामिल किया जाएगा और शेष जिलों को 2007 के अंत तक चरणों में शामिल किया जाएगा | चरण-I के तहत तीन राज्यों अर्थात् उड़ीसा, गुजरात और बिहार के आकस्मिक योजनाओं के विकास के लिए चयनित 28 जिलों के सभी संवेदनशील गांवों को शामिल किया जाएगा |

चरण 1 : यह कार्यक्रम गृह मंत्रालय [भारत सरकार], उड़ीसा, गुजरात और बिहार के राज्यों और इन तीन राज्यों के 28 जिलों में, सीसीएफ-I के अंतर्गत पहले दो वर्षों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहलों को सुदृढ़ करेगा। पर्यावरण निर्माण और आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरूआत भी सतत सामान्य स्थिति बहाली और व्यापक जागरूकता अभियान, प्रौद्योगिकी के परिवर्तन, डाटाबेस आदि के लिए, कार्यनीति के विकास के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य परामर्श सहित इन तीन राज्यों में एक साथ सभी स्तरों शुरू किए गए कार्यक्रम का हिस्सा हो होगी | संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कुछ कार्य कार्यक्रम कार्यान्वयन के तीसरे वर्ष में शुरू किए जाएंगे|

चरण II : भारत के नौ राज्यों में स्थित शेष सबसे अधिक संवेदनशील 97 जिलों को सीसीएफ-II के अंतर्गत संसाधनों की उपलब्धता तथा आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के लिए दानदाताओं से जुटाए गए संसाधनों के आधार पर द्वितीय चरण में शामिल किया जाएगा।

राज्य कार्यालय इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम राज्यों में राज्य नोडल एजेंसियों और नागरिक समाज के भागीदारों को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन सहायता प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा संस्थान, हैदराबाद [सीआईएसएफ] / राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान को राज्य सरकार के पदाधिकारियों को, नागरिक समाज अनुक्रिया समूहों को तथा राज्य आपदा प्रबंधन कार्यबल को प्रशिक्षित करने का कार्य सौंपा जाएगा| अलग-अलग राज्यों में अनुसंधान केन्द्रों और शैक्षणिक संस्थानों को उपयुक्त कार्यनीतियों के विकास के लिए समुदायों में पारंपरिक निपटान तन्त्र सहित राज्य में आपदा अनुक्रिया और सामान्य स्थिति बहाली के लिए मौजूदा व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए काम में लगाया जाएगा और इसके बाद फील्ड परीक्षण किया जाएगा ।

राज्य नोडल प्राधिकरण, पंचायती राज विभाग / शहरी निकाय तथा एनकेवाईएस और एनएसएस जैसे राष्ट्रीय संगठन इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मुख्य भूमिका निभाएँगे |राज्य नोडल एजेंसियों तथा सिविल सोसायटी अनुक्रिया समूहों के साथ भागीदारी में निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे :

जागरूकता अभियान नीति

हानि को कम करने के लिए प्राकृतिक संकटों के संबंध में निवारक उपाय करने के लिए लोगों को शिक्षित करने के लिए चयनित राज्यों के सभी हिस्सेदारों के परामर्श से प्रभावी आपदा जोखिम प्रंबधन अभियान नीति का विकास किया जाएगा |सिविल सोसायटी अनुक्रिया समूहों की मदद से राज्य नोडल एजेंसी चयनित जिलों में तैयारी के संबंध में रैलियों, जन बैठकों,स्कूली बच्चों के बीच निबंध लेखन, वाद-विवाद, ड्राइंग आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं, पोस्टरों, पत्रकों आदि के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान चलाएगी | इसी प्रकार प्रत्येक गाँव में भित्ति चित्रों के माध्यम से विभिन्न आपदाओं के संबंध में 'किए जाने वाले' और 'न किए जाने वाले कार्यों' को स्पष्ट किया जाएगा और सुरक्षित आश्रय स्थलों तथा निकासी आदि के सुरक्षित मार्गों को दर्शाया जाएगा|

आपदा तैयारी तथा शमन में स्त्री-पुरूष साम्यता

आपातस्थिति में महिलाओं, नि:शक्त व्यक्तियों, बच्चों आदि जैसे विशेष समूह अधिक अरक्षित होते हैं अत: इन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है | इस कार्यक्रम का उद्देश्य होगा आपदाओं के प्रति अनुक्रिया करने में इन समूहों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना है |समस्त बहु-संकट सम्भावित जिलों में अरक्षितता तथा जोखिम निर्धारण का मुख्य बल महिलाओं और बच्चों पर ही होगा | आपदा प्रबंधन समितियों और टीमों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व, आपदा सातत्य के सभी चरणों में निर्णय लेने में उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित करेगा | इसकी परिणति आपदा तैयारी के लिए स्त्री-पुरूष साम्यता मूलक और सतत सामुदायिक योजनाओं के निर्माण में होगी |

महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि कार्यों को प्रभावी रूप से निष्पादित करने के लिए उनकी क्षमताओं को संवर्धित किया जा सके | महिला समूहों के क्षमता निर्माण में

आपदा स्थितियों में प्रभावी अनुक्रिया और सतत सामान्य स्थिति बहाली के लिए नवीनतम तकनीकी जानकारी के प्रयोग में कौशल उन्नयन शामिल होगा |

नियम पुस्तकें तथा मानक प्रचालन मार्गदर्शी सिद्धांत

उड़ीसा तथा गुजरात आपदा तैयारी अनुभवों के आधार पर राज्य नोडल एजेंसियां व अनुसन्धान इकाइयाँ, ग्राम, ग्राम पंचायतें ब्लॉक,जिला तथा राज्य आपदा प्रबंधन टीमों के लिए प्रशिक्षण मैनुअल तथा समस्त स्तरों के लिए विभिन्न संकटों तथा मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार करने के लिए मैनुअल तैयार करेंगी | मैनुअल (नियम पुस्तकें) फील्ड परीक्षण के बाद स्थानीय भाषाओं में मुद्रित किए जाएंगे|हिस्सेदारों को मैनुअलों का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा |सभी मैनुअलों में आपदा स्थितियों में महिलाओं के सहायता तंत्र के विषय में विशेष कॉलम होगा |

आपदा प्रबंधन टीमों /समितियों का गठन

आपदा में सतत सामान्य स्थिति बहाली के लिए आपातस्थिति में कार्य करने के लिए विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधन टीमें बनाई जाएँगी जैसे राज्य, जिला, नगरपालिका, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, समुदाय और वार्ड स्तर | ग्राम और वार्ड स्तर पर डीएमटी में, कार्य आधारित समूहों में 10-12 व्यक्तियों का एक समूह होगा जैसे शीघ्र चेतावनी (ईडब्ल्यू), खोज और बचाव कार्य (एसआरओ), प्राथमिक चिकित्सा और जल एवं स्वच्छता (एफइडब्ल्यूए), आश्रय प्रबंधन (एसएम), अपघात परामर्श (टीसी) तथा क्षति निर्धारण (डीए) समूह | इसी तरह जनप्रतिनिधियों,स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था जैसे स्थानीय पुलिस, चिकित्सा अधिकारी जैसे सदस्यों,ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता विभाग के कनिष्ठ अभियंता, पशु चिकित्सा सहायता शल्य चिकित्सक/निरीक्षक,राजस्व निरीक्षक,ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ) आदि को लेकर ग्राम पंचायत, नगरपालिका और ब्लॉक स्तर पर डीएमटी का निर्माण किया जा सकता है | ब्लॉक स्तर पर बीडीओ, टीम का संयोजक होगा | जिला स्तर पर टीम में जिला कलेक्टर (डीसी/डीएम),पुलिस अधीक्षक (एसपी), अध्यक्ष, जिला अग्निशमन सेवा, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी (सीडीएमओ), जिला जनसंपर्क अधिकारी (डीपीआरओ), कार्यकारी अभियंता, सिंचाई, सड़क तथा भवन, जिला नागरिक आपूर्ति अधिकारी,एनजीओ/सीबीओ के प्रतिनिधि, सिविल डिफेन्स के प्रतिनिधि तथा अन्य लोग शामिल होंगे |यह टीम जिला कलक्टर के सीधे पर्यवेक्षण में कार्य करेगी | टीम में राहत आयुक्त/राजस्व सचिव, सचिव/निदेशक (पशुपालन), राज्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी, सचिव वाणिज्य और परिवहन, निदेशक (एनवाईकेएस/एनसीसी/एनएसएस), मुख्य अभियंता सिंचाई, सड़क और भवन, सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि तथा अन्य लोग शामिल हो सकते हैं |

इसके अलावा,तैयारी कार्यक्रम को सुकर बनाने और प्राकृतिक आपदा जोखिम प्रबंधन व आपातिक अनुक्रिया योजनाएँ तैयार करने और डीएमटी को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्तर पर एक सलाहकार समिति होगी |

प्रशिक्षण / क्षमता निर्माण

राज्य नोडल एजेंसी तथा यूएनडीपी राज्य,जिला तथा ब्लॉक स्तरों पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) का अयोजन करेंगे ताकि आपदा प्रबंधन समितियों का क्षमता संवर्धन किया जा सके और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक कोर टीम तैयार की जा सके | आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के संबंध में प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया होगी | प्रशिक्षित संवर्ग (कैडर) विभिन्न स्तरों पर आकस्मिकता योजना विकास की प्रक्रिया को सुकर बनाएगा |

चयनित ग्राम सेवकों को ग्राम आकस्मिकता योजनाएं तैयार करने के लिए तीन मॉड्यूल प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे | पीआरआई /सीबीओ /एनजीओ द्वारा एक या दो स्वयंसेवकों का चुनाव उनके अपने क्षेत्र से किया जाएगा जो ग्राम तथा जीपी स्तरों पर प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए राहत तथा पुनर्वास कार्यों संबंधी उनके विगत अनुभवों के आधार पर किया जाएगा | ग्राम आपदा प्रबंधन कार्यों के विकास में महिला स्वयंसेवियों को शामिल करने पर अधिक बल दिया जाएगा |

आपदा प्रबंधन टीम के सदस्यों के लिए विभिन्न स्तरों पर विशेषकृत प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा ताकि चेतावानी प्रसार, खोज और बचाव कार्य, आश्रय, प्रबंधन ,प्राथमिक चिकित्सा, खोज और बचाव कार्य, आश्रय प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा, अपघात परामर्श और क्षति निर्धारण आदि जैसे उनके दायित्वों के प्रभावी निर्वहन के लिए इन सदस्यों के कौशलों का संवर्धन किया जा सके | डी एम टी सदस्यों को प्रशिक्षण के उपरांत आसानी से पहचाने जाने के लिए विशेष प्रकार का एप्रन या जैकेट दी जाएगी | आपात स्थितियों में कार्य करने के लिए महिला डीएमटी को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा |

क्षमता निर्माण के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित सतत सामान्य स्थिति बहाली और तैयारी वाले सर्वोत्तम अभ्यास क्षेत्रों में सरकारी अधिकारियों, पीआरआई तथा डीएमटी का प्रभावन दौरा (एक्सपोजर विजिट)|

विभिन्न स्थानों की उपयुक्तता तथा क्षेत्रों की आवश्यकतानुसार अरक्षितता विश्लेषण,मौजूदा समाधान तंत्रों, मौजूदा प्रशासनिक, कानूनी, प्रौद्योगिक-कानूनी व संस्थागत प्रणालियों के पुनरीक्षण व आशोधन पर राज्य व राष्ट्रीय स्तरों पर नियमित अध्ययन, अनुसंधान और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा|

प्रशिक्षण नियमपुस्तक मानक प्रचालन प्रक्रियाएँ तथा सर्वोत्तम प्रणालियों का प्रलेखीकरण , आपदा तैयारी कार्यक्रमों के महत्त्वपूर्ण घटक हैं और विभिन्न स्तरों के लिए इनका विकास किया जाएगा ताकि इन्हें आसानी से अपनाया, दोहराया और साझा किया जा सके |

आपदा जोखिम प्रबंधन योजना का विकास

प्रशिक्षित स्वयंसेवक, सरकारी पदाधिकारी, सीबीओ, एनजीओ व पीआरआई क्षेत्रों की अरक्षितता तथा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आकस्मिक योजना (सीसीपी) के विकास की प्रक्रिया को सुगम बनाएंगे तथा ग्राम/वार्ड,ग्राम पंचायत और ब्लॉक आपदा जोखिम प्रबंधन योजना की आवश्यकतानुसार डीएमटी का निर्माण करेंगे |पल्ली सभा,ग्राम सभा व पंचायत

समितियां क्रमश: समस्त योजनाओं को अनुमोदित करेंगी ताकि इन्हें चल रहे कार्यक्रम का अंग बनाया जा सके |

जिला आपदा प्रबंधन समितियां, यूएनडीपी जिला परियोजना अधिकारी की सहायता से जिला बहु-संकट जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करेगी और संसाधन मानचित्रण तथा अरक्षितता विशलेषण करने के उपरांत आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुक्रिया योजनाएं तैयार करेंगी | योजना समस्त 'ब्लॉक /तालुका आपदा प्रबंधन योजनाओं' के संकलन पर आधारित होगी और इसे जिला परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाएगा |

आपदा तैयारी तथा अनुक्रिया योजना पर आधारित,आपदा सीजन से पूर्व मॉक ड्रिल होंगी ताकि योजना की व्यवहार्यता का पता लगाया जा सके और महत्वपूर्ण भागीदारों की भूमिका अधिक स्पष्ट रूप से सुनिश्चित की जा सके | यह उपस्करों तथा संसाधनों की उपलब्धता और प्रकार्यात्मक स्थिति भी सुनिश्चित करेगी |

प्रदर्शन इकाई:

आवास क्षेत्र में आपदारोधी तथा किफायती प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रदर्शन इकाई का निर्माण प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों व इंजीनियरों द्वारा चयनित जिलों में प्रौद्योगिकी के व्यापकतर प्रसार व स्वीकृति के लिए किया जाएगा जो समुदायों को आपदारोधी तथा किफायती प्रौद्योगिकियों को अपनाने में समर्थ बनाएगा | बहु-संकट रोधी मकानों के निर्माण में इंजीनियरों एवं राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण व कौशल उन्नयन समुदाय के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराएगा | मॉडल रेट्रोफिटिंग तथा छत पर वर्षा जल संचयन जैसी पहलें कतिपय बहु-संकट संभावित कार्यक्रम जिलों में संरचनात्मक शमन उपायों के प्रसार में सुकर सिद्ध होंगी |

आपातकालीन बचाव किटें

चक्रवात या बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय आपातिक आवश्यकता से निपटने के लिए नौका पोर्टेबल पावर जेनेरेटर सेट, शीघ्र चेतावनी देने वाले उपकरणों, तम्बूओं, विद्युत आरी आदि जैसे कुछ अनिवार्य उपकरणों वाली आपातिक किटें प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन को सहायता प्रदान की जाएगी |प्रत्येक चयनित जिले को उसकी आवश्यकता के अनुसार उपकरणों वाली किट उपलब्ध कराई जाएगी |राज्य तथा जिला प्रशासन के परामर्श से उपकरण खरीदे जाएंगे तथा इनका रखरखाव जिला प्रशासन का दायित्व होगा |

संसाधन वस्तुसूची डाटाबेस

आपातस्थिति के लिए संसाधन तथा स्वयंसेवक जुटाने के लिए प्रत्येक राज्य को वेब समर्थित संसाधन जुटाने के लिए प्रत्येक राज्य को वेब समर्थित संसाधन वस्तुसूची प्राप्त करने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी |आईटी सुगमताकर्ता संसाधन डाटाबेस तैयार करने के लिए राज्य सरकार की सहायता करेंगे और नोडल एजेंसी द्वारा इसे नियमित रूप से अद्यतन किया

जाएगा ताकि संसाधन उपलब्धता की स्थिति का पता लगाया जा सके | इसी प्रकार प्रत्येक राज्य के पास विशेष कौशल वाले स्वयंसेवकों की सूची होगी जिनका प्रयोग राज्य नोडल एजेंसियों द्वारा आपातस्थिति के दौरान किया जा सकता हो |

राज्य तथा जिला आपदा प्रबंधन सूचना केंद्रों का सुदृढीकरण

जिला नियंत्रण कक्ष तथा राज्य नियंत्रण कक्ष को उपस्करों के संबंध में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जैसे उन्नत संचार उपस्कर, इंटरनेट सुविधाओं सहित कंप्यूटर, एच ए एम उपस्कर, फैक्स आदि जैसी सुविधाएँ | आपातकालीन स्थिति के दौरान उपस्करों को प्रयोग में लाने के लिए पदाधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा | अत: राज्य तथा जिला स्तरों पर अग्रिम कार्रवाई के लिए सटीक चेतावनी को प्रसारित करने के लिए सुसज्जित नियंत्रण कक्ष होंगे | ये नियंत्रण कक्ष आपात काल के दौरान तथा उसके उपरान्त समन्वय के लिए मंच भी प्रदान करेंगे |

अरक्षितता तथा जोखिम इंडेक्सिंग और रिपोर्ट

अरक्षितता तथा जोखिम की बेंचमार्किंग का प्रयास इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान के माध्यम से किया जाएगा | अरक्षितता तथा जोखिम इंडेक्स एक परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होंगे | तैयारी तथा जोखिम अरक्षितता रिपोर्टों के मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस भी तैयार किया जाएगा |

III घ : सततता : ग्राम आपदा तैयारी तथा अनुक्रिया योजनाएँ पल्ली सभा /ग्राम बैठक /असेम्बली द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे ताकि इसे सार्वजनिक दस्तावेज बनाया जा सके | क्षेत्रों की अरक्षितता कम करने के लिए यह मौजूदा विकास कार्यक्रमों के साथ संपर्क सूत्र स्थापित करेगा | इसी प्रकार, ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन योजनाएँ ग्राम योजनाओं का संकलन होंगी जिन्हें ग्रामसभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और पंचायत, वार्षिक विकास योजनाओं के अंतर्गत शमन योजनाओं की सहायता करने का प्रयास करेगी |

ग्राम पंचायत शमन योजना,जिला परिषद योजना में पंचायत समिति योजना में प्रतिबिंबित होगी | सभी स्तरों पर यह सतत प्रक्रिया होगी और जिला शमन योजना, जिला वार्षिक विकास योजना का उपसमुच्चय होगी | आपदा तैयारी तथा शमन आयोजना समस्त विकासात्मक आयोजना प्रक्रिया का अभिन्न अंग होगी | विशेष रूप से निम्नलिखित बातें कार्यक्रम की सफलता का मापदंड होंगी :

-तैयारी,अनुक्रिया तथा शमन आयोजना सभी स्तरों पर वार्षिक विकास आयोजना प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन जाती है |

- आपदा प्रबंधन समितियां तथा आपदा प्रबंधन टीमें ,तैयारी संवर्धन के लिए नियमित मॉक ड्रिल का आयोजन करती हैं |
- सुसज्जित तथा प्रकार्यात्मक राज्य तथा जिला आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (भिन्न स्तरों पर चेतावनी के प्रसार के लिए स्पष्ट लाइन ऑफ कमांड)
- जोखिम न्यूनीकरण के लिए भवन संहिताओं तथा तकनीकी-विधिक प्रणालियों में विशिष्ट आशोधन |
- प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त मानव संसाधन क्षमता तथा आपदा तैयारी और अनुक्रिया कार्यों में क्षमता निर्माण|
- आपातस्थिति से पूर्व, इसके दौरान व इसके पश्चात के समस्त प्रचालनों के लिए नियमपुस्तकें एवं मार्गदर्शी सिद्धांत उपलब्ध होंगे |
- सुरक्षित आवास निर्माण के लिए ग्राम स्तर पर वैकल्पिक तथा किफायती प्रौद्योगिकी के जानकार प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपलब्ध होना |

III ङ) निकास नीति

निकास नीति,नियमित मॉक ड्रिल सहित आपदा तैयारियों और अनुक्रिया के विकास और उन्नयन के लिए स्थानीय क्षमताओं के सुदृढीकरण पर आधारित होगी | राज्य और जिले में प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने और समूची आयोजना प्रक्रिया को विकास योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए द्वारा समस्त कार्यक्रम जिलों से धीरे-धीरे यूएनडीपी कार्यकर्म कार्यान्वयन सहयोग लिया सकता है | यूएनडीपी कार्यान्वयन नीति स्थानीय संस्थाओं के साथ भागीदारियों पर और समस्त स्तरों पर जिला आपदा प्रबंधन समितियों और आपदा प्रबंधन टीमों को सशक्त बनाने पर आधारित है| विकास योजनाओं में जोखिम प्रबंधन तथा अरक्षितता न्यूनीकरण कार्यों को मुख्यधारा में लाकर तथा सरकारी पदाधिकारियों की क्षमताओं में संवर्धन करके यह सुनिश्चित हो जाएगा कि कार्यक्रम की उपलब्धियां कार्यक्रम की अवधि समाप्त होने के उपरांत भी निरंतर बनी हुई हैं |

III च. पारदर्शिता तथा जवाबदेही

यूएनडीपी, नोडल एजेन्सी को तिमाही रिपोर्टिंग सुनिश्चित करेगा ताकि बेहतर तालमेल व जवाबदेही बनाए रखी जा सके | कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर पुनरीक्षा समितियां होंगी | वित्तीय रिपोर्ट के साथ प्रगति रिपोर्ट, बेहतर

आपसी समझ और पारदर्शिता के लिए सबके साथ सहभाजित की जाएगी | कार्यक्रम के अंतर्गत संसाधनों का उपयोग कार्यक्रम संचालन समिति के निर्णय पर आधारित होगा |

भाग IV विधिक संदर्भ

यह परियोजना दस्तावेज संबंधित पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर ,भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बीच मानक आधारभूत सहायता समझौते के अनुच्छेद I,पैरा I में यथा वर्णित प्रपत्र होगा |

निम्नलिखित प्रकार के संशोधन केवल यूएनडीपी रेजीडेंट प्रतिनिधि के साथ ही इस कार्यक्रम दस्तावेज में किए जा सकते हैं बशर्ते कि वे इस बात के प्रति आश्वस्त हो कि परियोजना के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है |

-परियोजना दस्तावेज में संशोधन या परिवर्तन या इसके किसी दस्तावेज में संशोधन या परिवर्धन |

- ऐसे संशोधन, जो परियोजना के वर्तमान उद्देश्यों, आउटपुट या कार्यों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के कारण नहीं किए जाते हैं, बल्कि जिनका कारण इनपुटों की सहमत पुनर्व्यवस्था या मुद्रास्फीति की वजह से बढ़ने वाली लागत होती है; और
- अनिवार्य वार्षिक संशोधन, जो सहमत परियोजना इनपुटों की डिलीवरी को या मुद्रास्फीति के कारण अन्य लागतों के बढ़ते एक्सपर्ट को अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं या जो खाता एजेंसी व्यय के लचीलेपन को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं ।

भाग V: बजट

यूएनडीपी ने अब गुजरात, उड़ीसा, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, सिक्किम, उत्तरांचल, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में स्थित बहु-जोख़िम की आशंका वाले 73 जिलों में गृह मंत्रालय, व्यापक प्राकृतिक आपदा जोखिम कार्यक्रम को संस्थागत समर्थन देने के लिए सीसीएफ-I में [प्रथम चरण के दौरान] उपलब्ध 2 मिलियन अमेरिकी $ के अलावा इस चरण में इस कार्यक्रम के लिए सीसीएफ-II से उपलब्ध 5 मिलियन अमेरिकी $ का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा है |

सन्दर्भ:

संलग्नक - आईए: खतरे की आशंका वाले 125 जिलों की सूची [चरण I और II]
संलग्नक - आईबी: खतरे की आशंका वाले 28 जिलों की सूची [चरण II]
संलग्नक - आईसी: खतरे की आशंका वाले 45 जिलों की सूची [सीसीएफ II]

संलग्नक- I क

भारत सरकार -यूएनडीपी
आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम
चरण I एवं चरण -II : 2002- 2007
कार्यक्रम में शामिल राज्यों में स्थित उन 125 जिलों की सूची जहां खतरे की आशंका सबसे ज्यादा है

क्रम संख्या	चरण	जिला	राज्य
1	II	बारपेटा	असम
2	II	कछार	असम
3	II	धेमाजी	असम
4	II	धुबरी	असम
5	II	गोलपाड़ा	असम
6	II	हैलाकांडी	असम
7	II	कामरूप	असम
8	II	करीमगंज	असम
9	II	लखीमपुर	असम
10	II	मारी गांव	असम
11	II	नागांव	असम
12	II	नलबाड़ी	असम
13	I	अररिया	बिहार
14	II	बेगूसराय	बिहार
15	I	दरभंगा	बिहार
16	II	खगड़िया	बिहार
17	I	किशनगंज	बिहार
18	II	मधेपुरा	बिहार
19	I	मधुबनी	बिहार
20	II	मुंगेर	बिहार
21	II	मुजफ्फरपुर	बिहार
22	I	पटना	बिहार
23	II	सहरसा	बिहार
24	II	समस्तीपुर	बिहार
25	II	सीतामढ़ी	बिहार
26	II	सुपौल	बिहार
27	II	मध्य दिल्ली	दिल्ली
28	II	पूर्वी दिल्ली	दिल्ली

29	II	नई दिल्ली	दिल्ली
30	II	उत्तरी दिल्ली	दिल्ली
31	II	उत्तर पूर्वी दिल्ली	दिल्ली
32	II	उत्तर-पश्चिम दिल्ली	दिल्ली
33	II	दक्षिण दिल्ली	दिल्ली
34	II	दक्षिण पश्चिम दिल्ली	दिल्ली
35	II	वेस्ट दिल्ली	दिल्ली
36	I	अमरेली	गुजरात
37	II	बनास कांथा	गुजरात
38	I	भरूच	असम

(जारी .....)

(संलग्नक-I क जारी ....)

क्रम संख्या	**चरण**	**जिला**	**राज्य**
39	I	भावनगर	गुजरात
40	I	जामनगर	गुजरात
41	I	जूनागढ़	गुजरात
42	I	कच्छ	गुजरात
43	I	सूरत	गुजरात
44	II	सबरकांथा	गुजरात
45	II	सुरेंद्रनगर	गुजरात
46	II	पाटन	गुजरात
47	I	पोरबंदर	गुजरात
48	I	राजकोट	गुजरात
49	I	वडोदरा	गुजरात
50	II	कोल्हापुर	महाराष्ट्र
51	II	लातूर	महाराष्ट्र
52	II	मुंबई	महाराष्ट्र
53	II	मुंबई (उपनगरीय)	महाराष्ट्र
54	II	नासिक	महाराष्ट्र
55	II	उस्मानाबाद	महाराष्ट्र
56	II	पुणे	महाराष्ट्र
57	II	रायगढ़	महाराष्ट्र
58	II	रत्नागिरी	महाराष्ट्र
59	II	सतारा	महाराष्ट्र
60	II	सिंधुदुर्ग	महाराष्ट्र

61	II	ठाणे	महाराष्ट्र
62	II	अहमदनगर	महाराष्ट्र
63	II	धुले	महाराष्ट्र
64	II	पूर्वी गारो हिल्स	मेघालय
65	II	पूर्वी खासी हिल्स	मेघालय
66	II	जयंतिया हिल्स	मेघालय
67	II	री भोई	मेघालय
68	II	दक्षिण गारो हिल्स	मेघालय
69	II	पश्चिमी गारो हिल्स	मेघालय
70	II	वेस्ट खासी हिल्स	मेघालय
71	I	बालासोर	उड़ीसा
72	I	भद्रक	उड़ीसा
73	I	कटक	उड़ीसा
74	I	गंजाम	उड़ीसा
75	I	जगतसिंहपुर	उड़ीसा
76	I	जाजपुर	उड़ीसा
77	I	केंद्रपाड़ा	उड़ीसा
78	I	खोरधा	उड़ीसा
79	I	कोरापुट	उड़ीसा
80	II	नयागढ़	उड़ीसा
81	I	नुआपाड़ा	उड़ीसा

(जारी .....)

(संलग्नक-I क जारी ....)

क्रम संख्या	**चरण**	**जिला**	**राज्य**
82	I	पुरी	उड़ीसा
83	II	संबलपुर	उड़ीसा
84	II	रायगढ़	उड़ीसा
85	II	पूर्वी	सिक्किम
86	II	उत्तरी	सिक्किम
87	II	दक्षिण	सिक्किम
88	II	पश्चिम	सिक्किम
89	II	चेन्नई	तमिलनाडु
90	II	कुड्डालोर	तमिलनाडु
91	II	कांचीपुरम	तमिलनाडु

92	II	कन्याकुमारी	तमिलनाडु
93	II	नीलगिरि	तमिलनाडु
94	II	तिरूवल्लुर	तमिलनाडु
95	II	बहराइच	उत्तर प्रदेश
96	II	बलरामपुर	उत्तर प्रदेश
97	II	बिजनौर	उत्तर प्रदेश
98	II	शाहजहांपुर	उत्तर प्रदेश
99	II	देवरिया	उत्तर प्रदेश
100	II	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश
101	II	गोंडा	उत्तर प्रदेश
102	II	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश
103	II	रामपुर	उत्तर प्रदेश
104	II	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश
105	II	संत कबीर नगर	उत्तर प्रदेश
106	II	सिद्धार्थनगर	उत्तर प्रदेश
107	II	सीतापुर	उत्तर प्रदेश
108	II	चमोली	उत्तरांचल
109	II	देहरादून	उत्तरांचल
110	II	नैनीताल	उत्तरांचल
111	II	पिथौरागढ़	उत्तरांचल
112	II	रुद्रप्रयाग	उत्तरांचल
113	II	टिहरी गढ़वाल	उत्तरांचल
114	II	उधमसिंह नगर	उत्तरांचल
115	II	उत्तरकाशी	उत्तरांचल
116	II	बर्धमान	पश्चिम बंगाल
117	II	जलपाईगुड़ी	पश्चिम बंगाल
118	II	कूच बिहार	पश्चिम बंगाल
119	II	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल
120	II	नदिया	पश्चिम बंगाल
121	II	उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल
122	II	पुरुलिया	पश्चिम बंगाल
123	II	दक्षिण 24 परगना	पश्चिम बंगाल
124	II	उत्तर दिनाजपुर	पश्चिम बंगाल
125	II	मालदा	पश्चिम बंगाल

(जारी .....)

संलग्नक-I ख

भारत सरकार -यूएनडीपी
प्राकृतिक आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम
खतरे की आशंका वाले 28 जिलों की सूची [चरण I]

क्रम संख्या	चरण	जिला	राज्य
1	I	खगड़िया	बिहार
2	I	मधुबनी	बिहार
3	I	मुजफ्फरपुर	बिहार
4	I	सीतामढ़ी	बिहार
5	I	सुपौल	बिहार
6	I	अमरेली	गुजरात
7	I	भरूच	गुजरात
8	I	भावनगर	गुजरात
9	I	जामनगर	गुजरात
10	I	जूनागढ़	गुजरात
11	I	कच्छ	गुजरात
12	I	सूरत	गुजरात
13	I	पोरबंदर	गुजरात
14	I	राजकोट	गुजरात
15	I	वडोदरा	गुजरात
16	I	पाटन	गुजरात
17	I	बालासोर	उड़ीसा
18	I	भद्रक	उड़ीसा
19	I	कटक	उड़ीसा
20	I	गंजाम	उड़ीसा
21	I	जगतसिंहपुर	उड़ीसा
22	I	जाजपुर	उड़ीसा
23	I	केंद्रपाड़ा	उड़ीसा
24	I	खोरधा	उड़ीसा
25	I	पुरी	उड़ीसा

26	I	रायगढ़	उड़ीसा
27	I	कोरापुट	उड़ीसा
28	I	नुआपाड़ा	उड़ीसा

(जारी .....)

संलग्नक-I ग

भारत सरकार -यूएनडीपी
प्राकृतिक आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम
खतरे की आशंका वाले 45 जिलों की सूची [सी सी एफ-II]

क्रम संख्या	जिला	राज्य	निधीयन
1	अररिया	बिहार	सीसीएफ - II
2	बेगूसराय	बिहार	सीसीएफ - II
3	दरभंगा	बिहार	सीसीएफ - II
4	किशनगंज	बिहार	सीसीएफ - II
5	मधेपुरा	बिहार	सीसीएफ - II
6	सेंट्रल दिल्ली	दिल्ली	सीसीएफ - II
7	पूर्वी दिल्ली	दिल्ली	सीसीएफ - II
8	उत्तरी दिल्ली	दिल्ली	सीसीएफ - II
9	नॉर्थ ईस्ट दिल्ली	दिल्ली	सीसीएफ - II
10	उत्तर-पश्चिम दिल्ली	दिल्ली	सीसीएफ - II
11	पूर्वी	सिक्किम	सीसीएफ - II
12	उत्तरी	सिक्किम	सीसीएफ - II
13	दक्षिण	सिक्किम	सीसीएफ - II
14	पश्चिम	सिक्किम	सीसीएफ - II
15	कछार	असम	सीसीएफ - II
16	धुबुरी	असम	सीसीएफ - II
17	हैलाकांडी	असम	सीसीएफ - II
18	कामरूप	असम	सीसीएफ - II
19	करीमगंज	असम	सीसीएफ - II
20	बर्धमान	पश्चिम बंगाल	सीसीएफ - II
21	नदिया	पश्चिम बंगाल	सीसीएफ - II
22	उत्तर 24 परगना	पश्चिम बंगाल	सीसीएफ - II
23	दक्षिण 24 परगना	पश्चिम बंगाल	सीसीएफ - II
24	उत्तरादिनाजपुर	पश्चिम बंगाल	सीसीएफ - II
25	चमोली	उत्तरांचल	सीसीएफ - II

26	देहरादून	उत्तरांचल	सीसीएफ - II
27	नैनीताल	उत्तरांचल	सीसीएफ - II
28	ऊधमसिंह नगर	उत्तरांचल	सीसीएफ - II
29	बहराइच	उत्तर प्रदेश	सीसीएफ - II
30	बलरामपुर	उत्तर प्रदेश	सीसीएफ - II
31	बिजनौर	उत्तर प्रदेश	सीसीएफ - II
32	बदायूं	उत्तर प्रदेश	सीसीएफ - II
33	देवरिया	उत्तर प्रदेश	सीसीएफ - II

(जारी .....)

संलग्नक-I ग (जारी)
भारत सरकार -यूएनडीपी
प्राकृतिक आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम
खतरे की आशंका वाले 45 जिलों की सूची [सी सी एफ-II]

क्रम संख्या	जिला	राज्य	निधीयन
34	पुणे	महाराष्ट्र	सीसीएफ - II
35	रायगढ़	महाराष्ट्र	सीसीएफ - II
36	रत्नागिरी	महाराष्ट्र	सीसीएफ - II
37	ठाणे	महाराष्ट्र	सीसीएफ - II
38	धुले	महाराष्ट्र	सीसीएफ - II
39	पूर्वी गारो हिल्स	मेघालय	सीसीएफ - II
40	पूर्वी खासी हिल्स	मेघालय	सीसीएफ - II
41	जयंतिया हिल्स	मेघालय	सीसीएफ - II
42	री भोई	मेघालय	सीसीएफ - II
43	चेन्नई II	तमिलनाडु	सीसीएफ - II
44	तिरुवल्लूर	तमिलनाडु	सीसीएफ - II
45	कांचीपुरम	तमिलनाडु	सीसीएफ - II

मुद्रक: मल्होत्रा पब्लिशिंग हाउस,नई दिल्ली-15, टेलिफोन:25157006, ईमेल: mph@nsnal.com